

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमतीनगर,
लखनऊ - 226010

संख्या-53 /03/कम्प्यूटर अनुभाग (बारह)/2022-26/01-परीक्षा/2022

लखनऊ : दिनांक : 07 अप्रैल, 2026

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2022, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा-(प्रा०अ०प०-2021)/02 के अंतर्गत राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल 8085 पद विज्ञापित किये गये थे। तदुपरांत प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष आयोजित लिखित परीक्षा एवं अर्हता / अभिलेख परीक्षण के उपरांत राजस्व लेखपाल के उक्त 8085 रिक्त पदों के सापेक्ष 7897 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम मा० आयोग के अनुमोदनोपरांत दिनांक 30.12.2023 को घोषित किया गया था।

सूच्य है कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-12069/2024, रीतेश कुमार सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं उसके साथ सम्बद्ध अन्य याचिकाओं में हुई सुनवाई में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2025 एवं 12.08.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को बिना प्रभावित किये प्रश्नगत याचिकाओं के अपीलकर्ता/अभ्यर्थियों को ही संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर लिखित परीक्षा के अंक प्रदान करते हुए तथा प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में निर्धारित श्रेणीवार कटऑफ के आधार पर उक्त याचिकाओं के अपीलकर्ता/अभ्यर्थियों में से 114 अभ्यर्थियों तथा 02 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम मा० आयोग के अनुमोदनोपरांत क्रमशः दिनांक 23.07.2025 तथा 19.12.2025 को घोषित किया गया था।

सूच्य है कि मा० उच्चतम न्यायालय में योजित अवमानना याचिका (सिविल) संख्या-649/2025, राहुल चौधरी तथा अन्य प्रति अवनीश सक्सेना तथा अन्य में हुयी सुनवाई एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के समादर में प्रश्नगत याचिकाओं के अपीलकर्ताओं / अभ्यर्थियों को संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर पूर्व में प्रदान किए गए लिखित परीक्षा के अंक तथा प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में निर्धारित श्रेणीवार कटऑफ अंक (जन्मतिथि पर विचार न करते हुये) के आधार पर उक्त अवमानना याचिका के अपीलकर्ताओं/अभ्यर्थियों में से 18 अभ्यर्थियों को राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित किये जाने का निर्णय मा० आयोग द्वारा लिया गया है। उक्त के साथ ही मा० उच्चतम न्यायालय में हुयी सुनवाई एवं पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के आलोक में मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-12069/2024, रीतेश कुमार सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं उसके साथ सम्बद्ध अन्य याचिकाओं से सम्बन्धित अंततः अवशेष अपीलकर्ताओं/अभ्यर्थियों में से 02 अभ्यर्थियों को संशोधित उत्तर कुंजी के आधार पर पूर्व में प्रदान किए गए लिखित परीक्षा के अंक तथा प्रश्नगत पद हेतु पूर्व में निर्धारित श्रेणीवार कट-ऑफ अंक (जन्मतिथि पर विचार न करते हुये) के आधार पर राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित किये जाने का निर्णय मा० आयोग द्वारा लिया गया है।

तदनुसार मा० उच्चतम न्यायालय में योजित अवमानना याचिका (सिविल) संख्या-649/2025, राहुल चौधरी तथा अन्य प्रति अवनीश सक्सेना तथा अन्य से सम्बन्धित अपीलकर्ताओं / अभ्यर्थियों में से राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित 18 अभ्यर्थियों के श्रेणीवार अनुक्रमांक निम्नवत हैं:-



अनारक्षित (अनुक्रमांक)

00095801

कुल-01

अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुक्रमांक)

00014209	00053636	00105134	00142860	00179501	00207918	00219861 Provisional	00236476
00042267	00087682	00135889	00165269	00192149	00213853	00235791	00245994

कुल-16

सैन्य वियोजित/भूतपूर्व सैनिक (अनुक्रमांक)

00093104

कुल-01

मा० उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या-12069/2024, रीतेश कुमार सिंह तथा अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं उसके साथ सम्बद्ध अन्य याचिकाओं से सम्बन्धित अंततः अवशेष अपीलकर्ताओं/ अभ्यर्थियों में से राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित 02 अभ्यर्थियों के श्रेणीवार अनुक्रमांक निम्नवत हैं:-

अन्य पिछड़ा वर्ग (अनुक्रमांक)

00151409

कुल-01

अनुसूचित जाति (अनुक्रमांक)

00033085

कुल-01

सूच्य है कि आयोग द्वारा प्रश्नगत चयन परिणाम में 01 अभ्यर्थी को औपबंधिक रूप से सम्मिलित किया गया है। औपबंधिक रूप से चयनित उक्त अभ्यर्थी का अंतिम चयन मा० आयोग के निर्णय के अधीन होगा।

अतः मा० उच्चतम न्यायालय में हुयी सुनवाई एवं मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.03.2026 के समादर में मा० आयोग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार विज्ञापन संख्या-01-परीक्षा/2022, राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा-(प्रा०अ०प०-2021)/02 के अंतर्गत राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल पद हेतु चयनित उक्त 20 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

(अवनीश सक्सेना)

सचिव।

R Singh